

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र-33/2016
सेवा में,

दिनांक: लखनऊ: 9/6/2016

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृपया पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-5/1-551-02 दिनांक 17-07-1991 का संदर्भ ग्रहण करें, जो विभिन्न सेवा लाभ के लिए सन्तोषजनक सेवा निर्धारण के संबंध में निर्गत किया गया था।

उल्लेखनीय है कि उक्त परिपत्र निर्गत होने के पश्चात् उOप्रO शासन द्वारा शासनादेश संख्या-761/कार्यिक-1/1993 दिनांक 30-06-1993, शासनादेश संख्या-13/22/1993-का-1-1994 दिनांक 25-03-1994 व शासनादेश संख्या-13/22/1993-का-1/2004 दिनांक 27-10-2004 निर्गत करते हुये सेवा सम्बन्धी मामलों में सरकारी सेवाओं की सन्तोषजनक सेवा निर्धारण के संबंध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 17-07-1991 स्वतः ही निष्प्रभावी/समाप्त हो चुका है, जिसके बारे में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-बीव-470(वरिष्ठता-बदो0)2015 दिनांक 23-07-2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। परन्तु फिर भी भरे तनूक कतिपय इस प्रकार के दृष्टान्त सामने आ रहे हैं कि पुलिस विभाग के कर्मियों द्वारा अभी भी पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांकित 17-7-1991 को संतोषजनक सेवा निर्धारण का आधार बनाकर लाभ प्राप्त करने हेतु माO न्यायालयों में निर्देश याचिकाएं/रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

सादर्य है कि उOप्रO शासन द्वारा कर्मियों के संतोषजनक सेवा निर्धारण हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से जो मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं, उन्हीं का अनुपालन पुलिस विभाग में किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त निर्गत तथ्यों के दृष्टिगत सन्तोषजनक सेवा निर्धारण के संबंध में पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-5/1-551-02 दिनांकित 11-07-1991 जो वर्तमान परिदेश में निष्प्रभावी हो चुका है, को समाप्त करते हुये आप सभी की निर्देशित किया जाता है कि कर्मियों के सन्तोषजनक सेवा निर्धारण हेतु उOप्रO शासन द्वारा निर्गत किये गये शासनादेशों के अनुसार ही कार्यवाही करें तथा दिभल एवं उOप्रOशासन का पक्ष प्रभावी ढंग से माO न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत कराएं।

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उOप्रO।
- 2-समस्त जूनियर पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।

06/11/2016

कार्यालय: पुलिस अधीक्षक,
पत्रांक-एसटी-एसपी-के-2/16

अति महत्वपूर्ण/अति आवश्यक
जनपद कासगंज।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित निर्गत निर्देशों का अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित करने व कराने हेतु :-

1. अपर पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
2. क्षेत्राधिकारी कार्यालय, जनपद कासगंज।
3. प्रधानलिपिक/आफिक, जनपद कासगंज।
4. प्रभारी निरीक्षक विधि प्रकोष्ठ, कासगंज।

18/6
पुलिस अधीक्षक,
कासगंज।